पत्रांक –3/एम०–14/2019सा0प्र0/2978/

**बिहार सरकार**

**सामान्य प्रशासन विभाग**

प्रेषक,

गुफरान अहमद
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक
सभी विभाग
सभी विभागाध्यक्ष
सभी प्रमंडलीय आयुक्त
सभी जिला पदाधिकारी

पटना, दिनांक 19.9. 2019

**विषय– बिहार सरकार की सेवा में 18 वर्ष से कम आयु में नियुक्त कर्मियों की सेवानिवृत्ति की तिथि के संबंध में।**

महाशय,

निदेशनुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ऐसे दृष्टान्त सामने आये हैं जिनमें बिहार सरकार की सेवा में संबंधित सरकारी सेवकों की नियुक्ति पूर्व में 18 वर्ष से कम आयु में ही की गयी हैं। ऐसे मामलों में संबंधित सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति की तिथि क्या होगी– इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग में रेफरेन्स प्राप्त होते रहे हैं।

2. किसी सरकारी सेवक की सेवा में नियुक्ति की न्यूनतम/अधिकतम आयु तथा उसकी सेवानिवृत्ति के संदर्भ में वर्त्तमान में प्रवृत्त प्रावधान निम्नवत् हैं–

(i) बिहार सेवा संहिता के नियम–54 में सेवा में प्रवेश के समय अधिकतम उम्र का तो उल्लेख है परन्तु सेवा में प्रवेश की न्यूनतम उम्र क्या होगी इसका उल्लेख बिहार सेवा संहिता में नहीं है।

सचिवालय अनुदेश में नियम–2.8 में सचिवालय विभागों में office peons की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु 20 वर्ष निर्धारित है।

क्षेत्रीय कार्यालयों के संबंध में पूर्व के पत्रांक– 8167 दिनांक– 21.06.1966, 4234 दिनांक– 10.03.1970, 13984 दिनांक– 17.08.1971 तथा कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या– 7566 दिनांक– 16.05.1973 एवं 10747 दिनांक– 20.06.1975 में न्यूनतम आयु का उल्लेख नहीं मिलता है।

वर्णित परिपत्र एवं संकल्प वर्ष 1978 के विभागीय कम्पेंडियम (प्रथम खंड) में पृष्ठ 552–568 पर देखे जा सकते हैं।

(ii) बिहार सेवा संहिता के नियम–54 की टिप्पणी में वार्धक्य निवृत्ति के संबंध में एक निर्णयज विधि (Case Law) का भी उल्लेख किया गया है जो निम्नवत् है–

"**वार्धक्य निवृत्ति**:– यह नियम पेंशन प्रदायी सरकारी सेवा में प्रवेश के लिये ऊपरी आयु–सीमा निर्धारित करता है– नियम–73 परिकल्पित करता है कि सरकारी सेवक 58 वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् ही सेवानिवृत्त होता है– यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त व्यक्ति या तो 58 पर प्राप्त करने पर या 40 वर्ष की सेवा पूरा करने पर सेवानिवृत्त होगा। जन्मतिथि को अपनी मनमानी ढंग से पीछे खिसका कर और काल्पनिक जन्मतिथि प्रस्तुत कर सरकारी सेवक को विधितः सेवानिवृत्त नहीं किया जा सकता है। यह प्राकृतिक न्याय एवं सेवा संहिता के मूल उद्देश्य के अनुरूप नहीं है। मोख्तार अहमद बनाम बिहार राज्य परिवहन कॉरपोरेशन, 1995 (1) पी0एल0जे0आर0–183।"

(iii) सामान्य प्रशासन विभाग के संकल्प ज्ञापांक–2374 दिनांक–16.07.2007 की कंडिका–3(5) में, स्नातक योग्यता वाले पदों पर नियुक्ति की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा स्नातक से नीचे की योग्यता वाले पदों पर न्यूनतम आयु 18 वर्ष निर्धारित है, जिसे वर्ष 2010 के कम्पेंडियम (प्रथम खंड) के पृष्ठ 22–24 पर देखा जा सकता है।

(iv) सरकारी सेवकों की सेवानिवृत्ति हेतु अधिकतम आयु 58 वर्ष निर्धारित थी जिसे वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या–1979 दिनांक– 29.03.2006 द्वारा बिहार सेवा संहिता के नियम–73 में संशोधन करते हुए 60 वर्ष किया गया है। बिहार सेवा संहिता में न्यूनतम सेवावधि का बंधेज नहीं है, बल्कि बिहार सेवा संहिता के नियम–73 के प्रावधानों के आलोक में 60 वर्ष की आयु पूरा होने पर ही सेवानिवृत्ति हो सकती है। बिहार सेवा संहिता के नियम–73 का प्रावधान निम्नवत् है–

"**73.** "सरकारी सेवक की अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तिथि वह तिथि है जिस तिथि को वह 60 वर्ष की आयु पूरी कर लेता है:–

परन्तु सरकारी सेवक उस माह की अन्तिम तिथि को सेवानिवृत्त होगा जिस माह में वह 60 वर्ष की आयु पूरी करेगा, किन्तु यदि जन्मतिथि किसी माह की पहली तिथि को हो, तो जिस माह में वह साठ वर्ष की आयु पूरी करेगा ठीक उसके पूर्ववर्त्ती माह की अन्तिम तिथि को सेवानिवृत्त होगा।"

3. उपर्युक्त कंडिका–2 में वर्णित प्रावधानों के आलोक में कतिपय मामलों में संबंधित प्रशासी विभागों को पूर्व में यह परामर्श दिया गया है कि विषयांकित मामलों में भी संबंधित सरकारी सेवक 60 वर्ष की आयु पूरी करने के उपरान्त ही सेवानिवृत्त होंगे।

4. परन्तु विषयांकित मामले में माननीय सदस्य(न्यायिक), लोकायुक्त, बिहार द्वारा परिवाद संख्या–1/लोक (लोक स्वा0 अभि0 विभाग)–10/2013 श्री विजय सिंह बनाम श्री रामवृक्ष सिंह में दिनांक–05.03.2019 को आदेश पारित किया गया है। वर्णित परिवाद में विषयांकित मामले के सदृश मामलों की समीक्षा करते हुए माननीय लोकायुक्त द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को निम्नांकित निदेश दिया गया है–

"Having also regard to the fact that now a circular has been issued by the Public Health and Engineering Department for taking prompt action against the employee due to whose fault any employee is retained in service beyond the actual date of his retirement, it is hoped and believed that such a circular will also be issued by the Department of General Administration so that no one can be allowed to continue in service beyond the date of his retirement and completion or 42 years of service.

.....

Thus, the Department of General Administration, Government of Bihar, shall also submit its action taken report after for removal of such problem for once and all in all other Department of the Government of Bihar."

5. माननीय लोकायुक्त द्वारा उक्त वर्णित आदेश में सामान्य प्रशासन विभाग को इस आशय का परिपत्र निर्गत करने का निदेश दिया गया है कि कोई भी सरकारी सेवक अपनी सेवानिवृत्ति के उपरान्त अथवा 42 वर्ष की लगातार सेवा के उपरान्त सेवा में नहीं बना रह सके। उक्त निदेश के कार्यान्वयन के क्रम में विधि विभाग के माध्यम से विद्वान महाधिवक्ता द्वारा दिया गया परामर्श निम्नवत् है–

"This question of superannuation on completion of 42 year of total service had been raised in one another file referred for opinion from the Building Construction Department under UOO no.396/2019, which has been answered by the undersigned by a detailed opinion, a copy whereof is being enclosed for reference. In this context it will be relevant to site the judgment of Full Bench of the Patna High Court given in a case of Ragjawa Narain Mishra Vs State of Bihar & ors reported in 2006 (1) PLJR 410 in which it has been categorically decided, making reference to Rule-5 in Appendix-5 of the Bihar Pension Rules, 1950 and section 11 of the Contract Act, 1872 as also section 3of the Majority Act, 1875, that appointment into Government Service without attaining the age of 18 years cannot be valid. **The Court went on to hold that a Government servant who has taken undue advantage at the time of appointment by entering into Governement service when he had not attained the age of majority, cannot urge and get a higher benefit than what is admissible legally.**

Thus, the Court held that every Government servant who has completed 40 years of total service or age of 58 years shall have to be superannuated. The court also held that the judgment given by a Division Bench of this High Court in the case of Mokhtar Ahmad Vs BSRTC reported in 1995(1) PLJR 183 is not a good law and hence it was overruled.

In view of aforesaid, the observation by Hon'ble Lokayukta in his order dated 05.03.2019, ....., indicating not to allow a Government Servant to continue beyond the date of his retirement i.e. 60 years of age or completion of 42 years of service, is in line with the judgment of Full Bench and hence in my opinion, does not need any review."

6. अतः उक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में यह निदेश दिया जाता है कि–

(i) बिहार सरकार की सेवा में 18 वर्ष से कम आयु में पूर्व से नियुक्त कर्मियों को 42 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि को ही सेवानिवृत्त करा दिया जाय।

(ii) इस क्रम में अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों के सेवा अभिलेख की जाँच कर यह आश्वस्त हो लिया जाय कि 18 वर्ष से कम आयु में पूर्व में बिहार सरकार की सेवा में नियुक्त कोई भी कर्मी 42 वर्ष से ज्यादा अवधि तक सेवा में नहीं बना रहे।

(iii) यदि भविष्य में ऐसा कोई मामला प्रकाश में आता है, तो संबंधित सरकारी सेवक के उसकी सेवानिवृत्ति (अर्थात् 42 वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण होने) की तिथि के बाद सेवा में बने रहने के आधार पर ऐसे कर्मियों के वेतनादि मद में भुगतान की गयी राशि की वसूली इसके लिए जिम्मेवार पदाधिकारियों/कर्मचारियों से की जायेगी तथा इस हेतु उनके विरुद्ध यथोचित कार्रवाई भी की जा सकेगी।

(iv) अपने अधीनस्थ कार्यालय प्रधानों को निदेशित किया जाय कि वे अपने–अपने कार्यालयों में कार्यरत कर्मियों की सेवानिवृत्ति की तिथिवार सूची उनके सेवा अभिलेख के आधार पर संधारित करना सुनिश्चित करें तथा सेवानिवृत्त होने वाले कर्मी को उनकी सेवानिवृत्ति की वास्तविक तिथि से कम–से–कम छः माह पूर्व इसकी सूचना उपलब्ध करायें जिससे भविष्य में सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद भी किसी सरकारी सेवक के सेवा में बने रहते हुए कार्य करने की सम्भावना न बने।

7. उपर्युक्त कंडिका–6 पर वित्त विभाग की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

19/9/19

(गुफरान अहमद)

सरकार के उप सचिव।